2

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः न.2(31)कार्मिक/क-3/96 जयपुर, दिनांकः 3 अप्रैल, 2000

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलेक्टर्स सहित)

## प रि प त्र

राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अथवा पुलिस विभाग में पंजीबद्ध आपराधिक मामलों में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों को संकलित कर इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31.12.96 जारी किया गया था, जिससे ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में अनुदेशों की उनुपलब्धता एवं जानकारी के अभाव में विलम्ब नहीं हो तथा जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना भी सुनिश्चित हो सके।

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि परिपत्र दिनांक 31.12.96 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के उपरान्त भी उनकी उचित पालना नही हो पा रही है तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अथवा पुलिस विभाग में पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निस्तारण में काफी विलम्ब हो रहा है।

अतः समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव व विभागाध्यक्षों को कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.12.96 की प्रति पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि वे इसमें उल्लेखित दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें तथा अपने अधिनस्थ अधिकारियों को भी इन दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए उनसे इनकी पालना सुनिश्चित करावें। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अथवा पुलिस विभाग में पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों का निस्तारण एक निश्चित समय सीमा में आवश्यक रुप से सम्पन्न हो जावे।

मुख्य सचिव